

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 156 / 12

संस्थापन दिनांक:-22 / 03 / 12

फाईलिंग नं. 233504000652012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

केशो उर्फ मन्नू पिता जगन
 उम्र 32 वर्ष, निवासी बोथिया, ब्राम्हणवाडा,
 थाना साईखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 12.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.03.2012 को सुबह के 10 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम मोरनढाना में आम रोड पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटर सायकल सुजुकी क. एम.पी.48 बी 9784 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत इमलीबाई को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन बिना बीमा एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी/आहत इमलीबाई की मृत्यु हो जाने से उसे फौत घोषित किया गया है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.03.2012 को फरियादी इमलीबाई सुबह 10 बजे गांव से बकरी लेकर चराने के लिए आनंद पटेल के खेत तरफ रोड से लौट रही थी कि एक मोटर सायकल क्रमांक एम.पी. 48 बी 9784 ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसे पीछे से टक्कर मारी दिया। जिससे उसे बांये तरफ कनपटी, बायें कंधा, कुल्हे और घुटना एवं पिंडली में चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में सुजुकी मोटर सायकल क्र. एमपी 48 बी 9784 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 100/12 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया।

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटर सायकल क एमपी 48 बी 9784 मूल ड्रायविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.03.2012 को सुबह के 10 बजे थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत आनंद के खेत के पास आम रोड मोरनढाना पर अपने आधिपत्य के वाहन सुजुकी मोटर सायकल क. एमपी 48 बी 9784 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत इमलीबाई को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
3. उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने मोटर सायकिल क. एमपी-48-बी-9784 को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के चलाया ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 अशोक (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि पंखा तरफ से एक सुजुकी मोटर सायकल चालक ने उसकी नानी इमलीबाई को टक्कर मार दी थी, जिससे उनका हाथ टूट गया था तथा बांये सिर, कंधे एवं पिंडली में चोट आई थी। रामकलीबाई (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह

बताया कि घटना दिनांक को एक जीप वाले ने उसकी माँ को बेशुध हालत में ढर लेकर आया था और बताया था कि उसकी माँ रोड पर पड़ी हुई थी। साक्षी ने यह भी बताया कि उसकी माँ का हाथ टूट गया था।

8 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) ने दिनांक 07.03.2012 को सीएचसी आमला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत इमलीबाई का परीक्षण किए जाने पर उसके सिर पर फटा हुआ घाव, कंधे पर सूजन बाँए हाथ पर पीछे घिसड़ा, घुटने पर रगड़ा और पीठ के बाँए तरफ रगड़ा पाया जाना प्रकट करते हुए आहत को आई चोट सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित तथा सिर, बाँए कंधे एवं बांयी पीठ पर आई चोट के लिए एक्सरे की सलाह दिया जाना बताया है। साथ ही आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

9 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-6) ने दिनांक 09.03.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत इमलीबाई के एक्सरे में बांयी क्लेरिकल हड्डी का टूटा जाना प्रकट करते हुए तैयार एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी बी.पी. चौरिया (अ.सा.-4) एवं साक्षी अशोक (अ.सा.-1) साक्षी रामकलीबाई (अ.सा.-3) के कथनों से आहत इमलीबाई को दुर्घटना में बाँए हाथ पर फ्रेक्चर आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 एस.एल. साहू (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 07.03.2012 को थाना आमला की बोड़खी चौकी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होना प्रकट करते हुए को अपराध क्र. 100/12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया जाना। दिनांक 17.03.2012 को गवाहों के समक्ष अभियुक्त से मोटर सायकल टीवीएस सुजुकी क्र एमपी 48 बी 9784 को मय दस्तावेज जप्त कर (प्रदर्श प्री-3) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-4) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। प्रति परीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गए हैं जिससे साक्षी के द्वारा की गई विवेचना कार्यवाही का ब्यौरा प्रकट होता है।

11 मनोहर पंडाग्रे (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन ना करते हुए जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-3) एवं गिरफ्तारी प्रपत्र (प्रदर्श पी-4) पर अपने हस्ताक्षरों का ना होना भी बताया है। अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किया है। अतः उपर्युक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12 साक्षी राजू साहू (अ.सा.-7) ने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 21.03.2012 को मोटर सायकल क्र. एमपी48 बी 9784 का मैकेनिकल परीक्षण किए जाने पर वाहन को ठीक हालत में होना प्रकट करते हुए वाहन परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-7) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है तथा प्रति परीक्षण में इस सुझाव को सही बताया कि जब वाहन का मैकेनिक परीक्षण किया था तब वाहन में मैकेनिक खराबी या बाहरी टूटफूट नहीं थी।

13 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा वाहन मोटर सायकल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया। इस संबंध में साक्षी अशोक (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय उसकी नानी इमलीबाई बकरी चराने जा रही थी तभी सुजुकी मोटर सायकल का चालक पंखा तरफ से मोटर सायकल तेजी से चलाते हुए आया और उसकी नानी को टक्कर मार दिया। साक्षी ने आगे यह बताया कि जब वह मौके पर दौड़ा तो मोटर सायकल वाला भाग गया था फिर नानी को लेकर बोडखी चोकी में गया था जहां से फिर उसका इलाज आमला में हुआ था। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि घटना दिनांक को अभियुक्त केशो उर्फ मन्नू गाडी चला रहा था, परंतु इस सुझाव को सही बताया कि उसने मोटर सायकल का नंबर देखा था और पुलिस को बताया था।

14 रामकलीबाई (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया कि घटना के समय वह घर पर थी एक जीप वाला बेहोशी की हालत में घर पर लाया और बताया कि उसकी माँ इमलीबाई रोड पर पड़ी हुई थी। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया कि बाद में यह पता चला था कि अभियुक्त केशो ने उसकी माँ के उपर मोटर सायकल चला दिया था। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात की जानकारी ना होना बताया है कि अभियुक्त केशो ने तेज गति एवं लापरवाही से मोटर सायकल चलाकर उसकी माँ का एक्सीडेंट कर दिया था।

15 अशोक (अ.सा.-1) ने अपने प्रति परीक्षण में यह बताया कि अभियुक्त केशो की गलती से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और यह भी बताया कि रिपोर्ट लिखाते समय अभियुक्त का नाम लेख नहीं कराया था। रामकलीबाई (अ.सा.-3) ने भी प्रति परीक्षण में यह बताया कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है और उससे कोई पूछताछ भी नहीं की गई थी। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त केशो उर्फ मन्नू ने मोटर सायकल को तेजी एवं लापरवाही से चलाया और आहत इमलीबाई को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

16 प्रकरण में घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा वाहन मोटर सायकल सुजुकी क्रमांक एमपी 48 बी 9784 को चलाया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है तथा घटना दिनांक 07.03.2012 की है तथा अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 17.03.2012 को हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह भी नहीं प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा उपर्युक्त वाहन बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के चलाया गया था।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-बी 9784 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। साथ ही अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर अभियुक्त ही मोटर सायकिल चला रहा था। अतः ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को अपने वाहन क्र. एमपी-48-बी 9784 को बिना बीमा व रजिस्ट्रेशन के चलाया। फलतः अभियुक्त केशो उर्फ मन्नू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 एवं धारा 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्र. एम.पी.-48-बी-9784 उसके पंजीकृत स्वामी मारोती पिता श्यामू जी निवासी टिकारी बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

20. अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

